

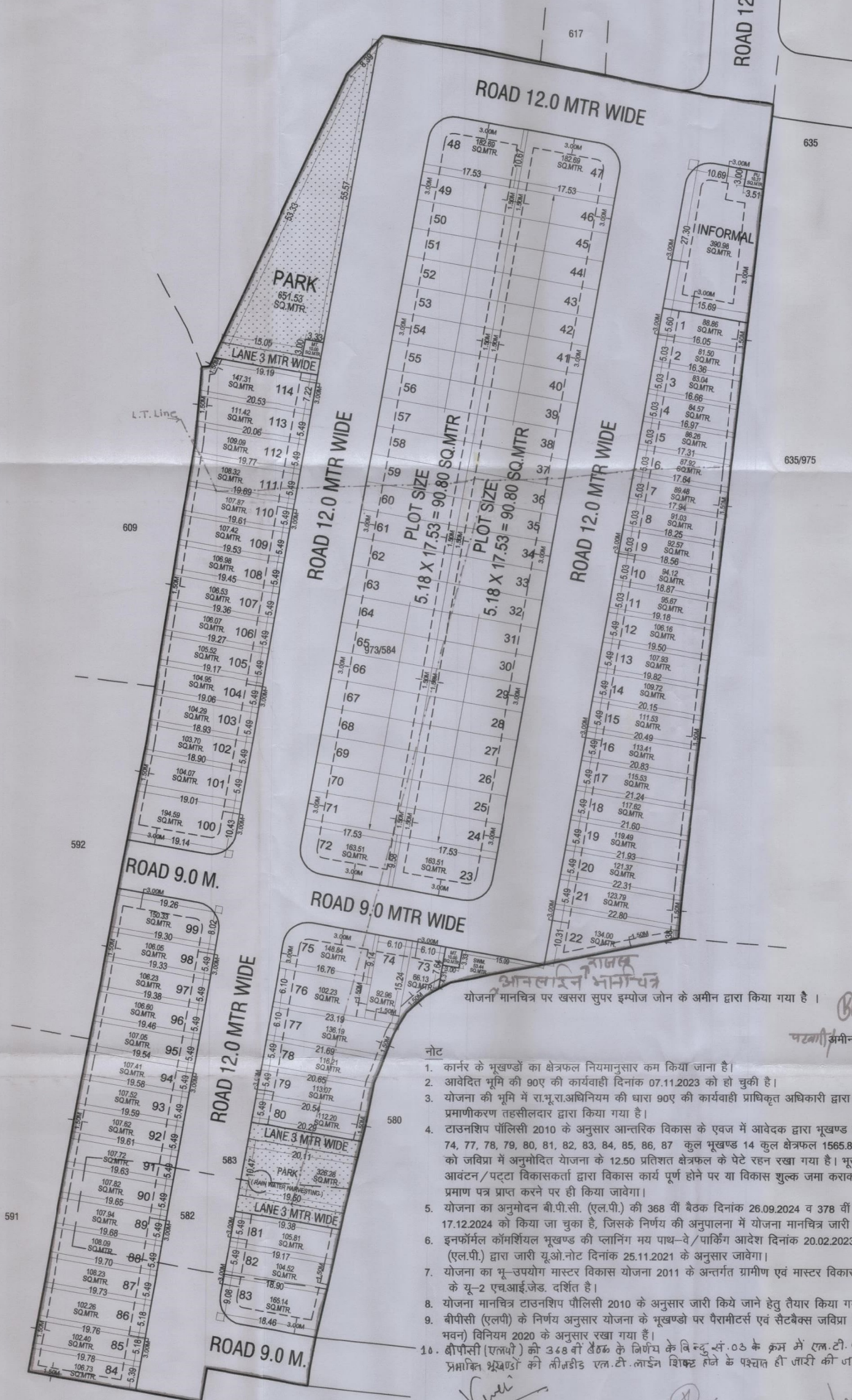
PROPOSED LAYOUT PLAN OF " KEDIA'S ATULYAM "

UNDER KHASRA NO.- 582, 583, 973/584.

AT REVENUE VILLAGE - RAJAWAS, TEH.- RAMPURA DABRI, JAIPUR

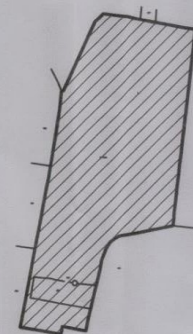
SCALE 1:500

1520
B
11.2.25



ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सूचक



मास्टर विकास योजना २०२२ के अनुसार नू उपयोग
आवसीय भूखण्डों की विवरण स्थिति :-
१ कुल आवसीय भूखण्ड = 114
२. खसरा भूखण्ड = 01

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	11866.73	60.72 %
2	INFORMAL	390.98	02.00 %
TOTAL = (1+2)		12257.71	62.72 %
3	PARK	977.81	05.00 %
4	S.W.M.	53.44	00.27 %
5	MT.	20.00	00.10 %
6	PU.	10.27	00.05 %
7	ROAD	6223.77	31.86 %
TOTAL = (3 TO 7)		7285.29	37.28 %
SCHEME AREA		19543.00	100.00 %

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं नौके पर भूमि का प्रमाणिकरण से ज्ञात किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार नाम उपायुक्त जोग:-

बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम :- PROPOSED LAYOUT PLAN OF "KEDIA'S ATULYAM" UNDER KHASRA NO.- 582, 583, 973/584 AT REVENUE VILLAGE - RAJAWAS, TEH.- RAMPURA DABRI, JAIPUR

जोन संख्या = पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक	अति.सहायक नगर नियोजक	वरिष्ठ नगर नियोजक
जयपुर विकास प्राधिकरण		

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

नोट

- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 07.11.2023 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 22, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 कुल भूखण्ड 14 कुल क्षेत्रफल 1565.85 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 368 वीं बैठक दिनांक 26.09.2024 व 378 वीं बैठक दिनांक 17.12.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के यू-2 एच.आई.जेड. दर्शित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।
- बी.पी.सी. (एल.पी.) की 368 वीं बैठक के निर्णय के बिन्दु सं. 03 के क्रम में एल.टी. लाईन से प्रमाणिक भूखण्डों की तीव्रडीड एल.टी. लाईन शिफ्ट होने के पश्चात ही जारी की जावे।

सहायक नगर नियोजक जोन-12

तहसीलदार जोन-12

उपयुक्त जोन-12

11. प्रधानमन्त्री प्रकरण में स्वयंसेवा का सीमांकन जोन की राजस्व शाखा के अधिकारियों द्वारा किया गया है। अधिकार में किसी प्रकार की विवशति होने पर भ्रष्टाचार विरोधी राजस्व शाखा के अधिकारियों का होगा।

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031

उप नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)